न्यायालय जिला कलेक्टर, गंगापुर सिटी
पीठासीन अधिकारी—डॉ0 गौरव सैनी

अपील संख्या— 31/23

तारीख रज्जू—12/09/23

1 ताजबानों पुत्री जीवन पत्नि आमीन खां जाति मुसलमान निवासी अलीगंज तहसील गंगापुर सिटी हालवासी अचलपुरा तहसील लालसोट तहसील दोसा।

2 सायराबानों पुत्री जीवन पत्नि लियाकतअली जाति मुसलमान निवासी अलीगंज तहसील गंगापुर सिटी।

3 वारिसअली पुत्र जहूर मोहम्मद जाति मुसलमान हालवासी मेहनत नगर एमबीसी रोड हटवाड़ा ,जयपुर।

4 अहमदअली उर्फ पप्पू पुत्र जहूर मोहम्मद जाति मुसलमान हालवासी मेहनत नगर एमबीसी रोड हटवाड़ा ,जयपुर ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. हनीफ पुत्र जीवन जाति मुसलमान नि0 अलीगंज तहसील गंगापुर सिटी।
2. फिरोज पुत्र फहियाज जाति मुसलमान निवासी अलीगंज तहसील गंगापुर सिटी।
3. आसिव पुत्र फहियाज जाति मुसलमान निवासी अलीगंज तहसील गंगापुर सिटी।
4. शाहरूख पुत्र फहियाज जाति मुसलमान निवासी अलीगंज तहसील गंगापुर सिटी।
5. दाऊद पुत्र फहियाज जाति मुसलमान निवासी अलीगंज तहसील गंगापुर सिटी।
6. सायता पुत्री फहियाज पत्नि शमशेर जाति मुसलमान निवासी अलीगंज तहसील गंगापुर सिटी।
7. सलमा पुत्री फहियाज पत्नि ईसराईल जाति मुसलमान निवासी अलीगंज तहसील गंगापुर सिटी।
8. मुस्कान उम्र 13 वर्ष पुत्री फहियाज जरिये संरक्षक माता बरफी पत्नि फहियाज जाति मुसलमान निवासी अलीगंज तहसील गंगापुर सिटी
9. बरफी पत्नि फहियाज जाति मुसलमान नि0 अलीगंज तह0 गंगापुर सिटी।
10. लेण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार तहसील गंगापुर सिटी
11. राजूद्दीन पुत्र जहूर जाति बंजारा मुसलमान निवासी अलीगंज तहसील गंगापुर सिटी
12. कमरूद्दीन पुत्र ईदू खॉ जाति बंजारा मुसलमान निवासी महाराया तहसील लालसोट जिला दौसा ।
13. शाहनाज पुत्र जहूर पत्नि मजीद जाति मुसलमान निवासी अचलपुरा तहसील लालसोट जिला दौसा।

—— रेस्पोडेन्टान

निर्णय

प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम दिनांक— 28/05/2024

अपीलान्ट ने यह अपील ग्राम अहमदपुर के नामान्तकरण संख्या 237 में पारित निर्णय दिनांक 07/01/1983 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। नामान्तकरण सं0 237 में पारित निर्णय दिनांक 07.01.1983 द्वारा तहसीलदार गंगापुर सिटी ने जीवन पुत्र बोदन जाति मुसलमान की ग्राम अहमदपुर में स्थित खातेदारी भूमि खं0नं0 234/1 रकबा 3 बीघा 9 बिस्बा व 137 रकबा 4 बीघा 4 बिस्बा का उत्तराधिकार नामान्तकरण तस्दीक किया है, , साथ ही अपीलान्ट ने नामान्तकरण सं0 237 निर्णय दिनांक 07/01/1983 निरस्त करने हेतु निवेदन किया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट्स की तलबी जरिये सम्मन की गई। रेस्पों0 जरिये अधिवक्ता उपस्थित होने पर उभय पक्ष की प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम पर बहस सुनी गई।

28/5/24

जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी (राज.)

वकील अपीलान्ट ने लिखित बहस प्रस्तुत करते हुए कथन किया है कि उनवानी अपील नामान्तकरण सं0 237 निर्णय दिनांक 07/1/1983 तहसीलदार गंगापुर सिटी के बाबत् 234/1 व 137 ग्राम अहमदपुर के बाबत् श्रीमान् के समक्ष विचाराधीन है। जिसके हाल खं0नं0 331,611,612 है। उक्त भूमि की खातेदारी पूर्व में जीवन पुत्र बोदन के नाम दर्ज रही, जिसकी मृत्यु के कारण उक्त भूमि का नामान्तकरण उसके वारिसान के नाम दर्ज किया जाना था। मृतक जीवन के वारिसान दो पुत्र हनीफ व फहियाद रहे, जिसमें हनीफ रेस्पोडेन्ट सं0 1 है। तथा फहियाद की मृत्यु को जाने के कारण उसके वारिसान 2 लगायत 9 है। मृतक जीवन की बेबा गफूरन रही जो फौत हो चुकी है साथ ही मृतक जीवन के तीन पुत्रीयां और थी जिनमें अपीलान्ट सं0 1 ताजबानों, अपीलान्ट सं0 2 सायरा बानों तथा तीसरी पुत्री रहीसा बानो पत्नि जहूर रही जो फौत हो चुकी है जिसके वारिस अपीलान्ट सं0 3,4 व रेस्पोडेन्ट सं0 13 शहनाज है। विवादित नामान्तकरण रेस्पोडेन्ट सं0 1 व 2 लगायत 9 के बुर्जुग फहियाज द्वारा चालाकी पूर्ण तरीके से दौराने अभियान गुपचुप तरीके से बिना अपीलान्ट को कोई नोटिस दिये व बिना किसी अन्य प्रकार से जानकारी दिये , रेस्पोडेन्ट सं0 1 व 2 लगायत 9 के पिता फहियाज व जीवन की पत्नि गफूरन जो फौत हो चुकी है के नाम दर्ज करवा लिये तथा जीवन के तीन पुत्रीयां जो उसकी वारिस थी का नाम विरासत के रूप में नामान्तकरण में दर्ज नहीं करवाया अर्थात उक्त विरासत के नामान्तकरण को फर्जी तरीके से रेस्पोडेन्ट सं0 1 व 2 लगायत 9 के पिता फहियाज द्वारा अपने नाम दर्ज करवा लिया। जिसकी अपीलान्ट को कभी कोई जानकारी नहीं रही। रेस्पोडेन्ट सं0 1 व 2 लगायत 9 के पिता फहियाज द्वारा अपने जीवनकाल में अपीलान्ट की भूमि में अपना हिस्सा बराबर देते रहे तथा अपीलान्ट के विरासत का नामान्तकरण खुलवाने की कहने पर आश्वासन देते रहे कि जब भी विरासत का नामान्तकरण खुलेगा, हम तुम्हे तुम्हारा नाम दर्ज करवा देगे।

रेस्पोडेन्ट सं0 1 व 2 लगायत 9 के पिता फहियाज द्वारा जीवन की विरासत का नामान्तकरण की अपीलान्ट को कभी कोई जानकारी नहीं रही परन्तु जीवन की पुत्री रहीसा बानों की पुत्री रेस्पोडेन्ट सं0 13 सहनाज के अचानक गम्भीर रूप से बीमार हो जाने के कारण उसके ईलाज के लिये पैसों की आवश्यकता होने पर अपीलान्ट सं0 1 व 2 तथा 3 व 4 जो सहनाज के भाई है ने दिनांक 10/10/2020 को गांव अलीगंज जाकर रेस्पोडेन्ट सं0 1 व 2 लगायत 9 से इस संबंध में बात की तथा कहा कि सहनाज गम्भीर रूप से बीमार है तथा उसे अपने इलाज के लिये पैसों की आवश्यकता है तो रेस्पोडेन्टान भडक गये तथा कहने लगे कि तुम्हारा ग्राम अलीगंज की भूमि से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। जीवन मेरा पिता था तथा गफूरन मेरी मॉ थी इसलिये जमीन हमने हमारे नाम लगवाली। इस पर अपीलार्थीगण को काफी आश्चर्य हुआ तथा दिनांक 11/10/2020 को पटवारी हल्का से मिले तथा मृतक जीवन की विरासत का नामान्तकरण की नकल देने के लिए कहा तो पटवारी हल्का ने कहा कि नामान्तकरण रिकोर्ड रूम में जमा हो गया है इसलिये रिकोर्ड रूम से नकल मिलेगी इस पर दिनांक 12/10/2020 को तहसील में रिकोर्ड रूम में नामान्तकरण की नकल के लिये आवेदन किया जिस पर दिनांक 15/10/2020 को नकल मिली तथा उस नकल को देखने तथा अपने वकील को बताने पर सर्व प्रथम रेस्पोडेन्ट द्वारा कराये गये विरासत के गलत इन्द्राज की जानकारी हुयी तथा होने जानकारी से अपील अन्दर मियाद पेश की गयी है, अपील पेश करने में जानबूझकर कोई लापरवाही नहीं की गयी है। अपील पेश करने में हुआ बिलम्ब को माफ किया जाकर अपीलान्ट को न्याय दिलाया जावे।

मृतक जीवन के विरासत के नामान्तकरण फ्रोड मिथ्याव्यपदेशन के आधार पर अपीलान्ट की बिना जानकारी के रेस्पोडेन्ट द्वारा अपने नाम गलत रूप से तस्दीक करवाया गया , जिसके चैलेन्ज करने के लिये कानूनन कोई मियाद निश्चित नहीं है। ऐसे गलत आदेश की जानकारी होने पर उसे चैलेन्ज किया जा सकता है। रेस्पोडेन्ट सं0 13 सहनाज गम्भीर रूप से बीमार होने के कारण अपील करते समय न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सकी इसलिये उसे रेस्पोडेन्ट के रूप में पक्षकार बनाया गया है जबकि अपील पेश करने में उसकी सहमती थी क्योंकि उसके भाई अपीलान्ट सं0 3 व 4 अपीलान्ट के रूप में पत्रावली में पक्षकार है तथा उक्त तीनों अपीलान्ट सं0 3 व 4 व रेस्पोडेन्ट सं0 13 जीवन की मृतक पुत्री

28/5/24

रहीसा बानों पत्नि जाहूर के वारिस है तथा जीवन की सम्पत्ति में विरासत में हक प्राप्त करने के अधिकारी है। अपील होने जानकारी से अन्दर मियाद पेश की गयी है। इसलिये प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार करवाया जाकर अपील को मैरिट पर गुणावगुण के आधार पर निर्णित करने के आदेश दिया जाना न्यायहित में आवश्यक है,साथ ही वकील अपीलार्थी ने आरआरटी 2018(1)पेज नं0 601, आरआरटी 2013(1)पेज नं0 473,आरआरटी 2017 पेज नं0 1401 नजीरे प्रस्तुत करते हुए दफा 6 का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने हेतु निवेदन किया है।

वकील रेस्पोडेन्ट ने दौराने बहस निवेदन किया कि वकील अपीलार्थी ने दफा 6 प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया है। जहां दफा 6 का बिन्दु होता है वहां प्रत्येक दिवस का अंकन होना आवश्यक होता है। उक्त नामान्तकरण राजस्व शिविर में मजमें आम में खोला गया है। मजमें आम में तथ्यों को नहीं छुपाया जाता है। अपीलार्थी सं0 1 व रेस्पोडेन्ट एक ही ग्राम के वासी है। वकील अपीलार्थी द्वारा अपनी बहस में अंकित किया है कि रेस्पोडेन्ट सं0 13 सहनाज के अचानक गम्भीर रूप से बीमार हो जाने के कारण उसके ईलाज के लिये पैसों की आवश्यकता होने पर अपीलान्ट सं0 1 व 2 तथा 3 व 4 जो सहनाज के भाई है ने दिनांक 10/10/2020 को गांव अलीगंज जाकर रेस्पोडेन्ट सं0 1 व 2 लगायत 9 से इस संबंध में बात की तब प्रथम जानकारी होना बताया है। जबकि अपीलार्थी द्वारा स्वयं सहनाज को रेस्पों सं0 13 के रूप में पक्षकार बनाया है।अपीलर्थी द्वारा सहनाज को अपीलार्थी के रूप में पक्षकार बनाया जाना चाहिए था ना ही अपीलार्थी द्वारा इस संबंध में सहनाज का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। उक्त नामान्तकरण राजस्व शिविर में उपस्थित समस्त ग्रामवासीयों की थी तथा अपीलार्थी है, जिसकी जानकारी राजस्व शिविर में मजमें आ में खोला गया सं0 1 भी उसी ग्राम की निवासी है। उक्त नामान्तकरण की अपीलान्ट को पूर्व से ही जानकारी रही है। उक्त नामान्तकरण 37 वर्ष पूर्व जीवन की फौते होने के बाद ही तस्दीक हो गया था तथा उसके पश्चात् जीवन की पत्नि गफूरन वेवा जीवन भी फौत हो चुकी है। अपीलान्ट द्वारा रेस्पों0 का नाजायज रूप से परेशान करने के उद्देश्य से 37 वर्ष पश्चात् उक्त नामान्तकरण की अपील भ्रमक तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत की है। न्याय का सिद्धान्त है कि सोये सुस्त के अधिकारों की रक्षा ना करे ,साथ ही वकील रेस्पोडेन्ट ने 2022(1) DNJ पेज नं0 374 रामनारायण बनाम राजस्थान सरकार, RLW 2006 (2) पेज नं0 919 ,नजीरे प्रस्तुत करते हुए अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा 5 निरस्त करने हेतु निवेदन किया है।

वकील उभय पक्ष की बहस सुनने उस पर मनन करने व अदालत मातहत की पत्रावली का अवलोकन करने पर सर्वप्रथम यह पाया गया कि स्वयं अपीलार्थी 3 व 4 के भाई राजूद्दीन जो रेस्पोडेन्ट 11 पर पक्षकार है। अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र दफा 5 में अंकित किया है कि रेस्पोडेन्ट सं0 1 अचानक अपीलान्ट पर भडक गया तथा कहने लगा कि तुम्हारी कोई भूमि अलीगंज में नहीं है, जीवन मेरा पिता था एवं उसकी भूमि मैने व भाई फहियाज व मॉ गफूरन ने नाम लगवाली थी। जबकि वर्तमान में जमाबन्दी सम्वत् 2074 में उक्त वाद आराजीयात के नवीन खं0नं0 10 में अपीलार्थी 3 व 4 का सगा भाई स्वयं काश्तकार के रूप में दर्ज है।अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा 5 के अनुसार सर्वप्रथम जानकारी 10/10/2020 को होना बताया है, जबकि अपील के संलग्न दस्तावेजो के अनुसार अपीलार्थी द्वारा जमाबन्दी सम्वत् 2032–35 , नकल मिलान क्षेत्रफल तुलनात्मक की नकल प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र दिनांक 07/10/2020 को करना पाया गया , जबकि अपीलार्थी द्वारा अपनी अपील में सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 10/10/2020 को होना बताया है तथा अपीलार्थी द्वारा

29/5/24

प्रस्तुत अपील में अंकित किया है कि रेस्पोडेन्ट सं0 13 (जीवन की पुत्री मृतक रहीसा की पुत्री) के बिमार होने पर उसके इलाज के लिए पैसों की आवश्यता हुई तथा पैसों के लिए रेस्पोडेन्ट सं0 1 से बात करने पर सर्वप्रथम उक्त नामान्तकरण की जानकारी होना बताया है। जबकि रेस्पोडेन्ट सं0 13 का इस संबंध में कोई शपथ पत्र अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। अपीलार्थी ने अपनी बहस में अंकित किया है कि रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलान्ट के विरासत नामान्तकरण खुलवाने की कहने पर आश्वासन देते रहें कि जब भी विरासत का नामान्तकरण खुलेगा , हम तुम्हे बुलाकार तुम्हारा नाम दर्ज करवा जबकि उक्त नामान्तकरण 07/1/1983 को ही तस्दीक हो गया था अर्थात अपील प्रस्तुत करने के 37 वर्ष पूर्व ही नामान्तकरण तस्दीक हो गया था। रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलार्थी को 37 वर्ष तक आश्वासन देने का कथन उचित प्रतीत नही होता है। अपीलार्थी न्यायालय हाजा के समक्ष दायर अपील में 37 वर्ष पूर्व के नामान्तकरण में हुई देरी के संबंध में उचित दस्तावेज/साक्ष्य एवं कारण प्रस्तुत करने में असफल रहा।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील मियाद बाहर होने से अस्वीकार कर निरस्त की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 28/05/2024..... को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

28/5/24

(डॉ0 गौरव सैनी)
जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी